सं. ए-12018/02/2021–एडी.V

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक 21 फ़रवरी, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: गृह मंत्रालय पुस्तकालय में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद के भर्ती नियमों में संशोधन के संबंध में।

****

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पैरा 3 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, गृह मंत्रालय, पुस्तकालय और सूचना सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

2. यह अनुरोध किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधनों पर सभी हितधारकों की टिप्पणियां, यदि कोई हों, अधिकतम 22 मार्च, 2022 तक अवर सचिव (प्रशासन-V), गृह मंत्रालय, कमरा संख्या 81-डी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को भेज दी जाएं। इस प्रकार प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात्, पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद के भर्ती नियमों में संशोधन को अंतिम रूप दिया जाएगा।

3. पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद के भर्ती नियमों में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है:

क्र. सं.	मौजूदा प्रावधान	प्रस्तावित संशोधित प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन के कारण
1	पद का नाम : - पुस्तकालय और सूचना सहायक	पद का नाम : - पुस्तकालय और सूचना सहायक	कोई परिवर्तन नहीं
2.	पदों की संख्या : - 03 * (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	पदों की संख्या : - 03 * (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है	कोई परिवर्तन नहीं
3.	वर्गीकरण :- सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वर्गीकरण :- सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	कोई परिवर्तन नहीं
4.	वेतनमान :- वेतन मैट्रिक्स में **लेवल-5**	वेतन-मैट्रिक्स में लेवल :- **लेवल-6**	- इस पद का वेतनमान पीबी-2, ₹9300-34800/- और ग्रेड पे ₹4200 था। हालांकि, 7वें सीपीसी के अनुसार भर्ती नियमों में संशोधन के समय, वेतनमान को गलत तरीके से लेवल-5 में वर्णित किया गया था।

5.	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद: लागू नहीं	चयन पद है अथवा गैर-चयन पद:- लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा:- 30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार **केन्द्रीय के कर्मचारियों** के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, **जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड**, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पिति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा:- 30 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार **केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों** के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, **लद्दाख**, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पिति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	- "केंद्रीय के कर्मचारियों" को "केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों" से संशोधित किया गया है । - लद्दाख की स्थिति में बदलाव के परिणामस्वरूप, "जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड" को "लद्दाख" से संशोधित किया गया है ।
7.	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:- **अनिवार्य:** 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री; 2. केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का अनुभव । **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के कंप्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा । **टिप्पण-1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाए, कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:- **अनिवार्य:** 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री; 2. केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या स्वायत्त या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्था के अधीन पुस्तकालय में दो वर्ष का अनुभव । **वांछनीय:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा । **टिप्पण-1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाए, कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।	- वांछनीय अर्हता में "संस्थान के कंप्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा" को "संस्थान से कंप्यूटर उपयोजन में डिप्लोमा" से संशोधित किया गया है । - पुस्तकालय और सूचना सहायक का पद "समूह 'ग' अराजपत्रित पद" है इसलिए इस पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है । अतः टिप्पण-2 में "संघ लोक

	<u>टिप्पण-2:</u> अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर <u>संघ लोक सेवा आयोग</u> की यह राय है की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	<u>टिप्पण-2:</u> अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर <u>कर्मचारी चयन आयोग</u> की यह राय है की उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	में **"संघ लोक सेवा आयोग"** को **"कर्मचारी चयन आयोग"** से संशोधित किया गया है।
8.	<u>क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी</u> :- आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: जी हां	<u>क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी</u> :- आयु: नहीं शैक्षिक अर्हता: जी हां	कोई परिवर्तन नहीं
9.	<u>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</u>:- सीधे भर्ती किए जाने वाले और प्रोन्नति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	<u>परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो</u>: - सीधे भर्ती किए जाने वाले और प्रोन्नति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	कोई परिवर्तन नहीं
10.	<u>भर्ती की प्रक्रिया</u>: - 33.33% प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन द्वारा और 66.67% सीधी भर्ती द्वारा	<u>भर्ती की प्रक्रिया</u>: - 33.33% प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन द्वारा और 66.67% सीधी भर्ती द्वारा	कोई परिवर्तन नहीं
11.	<u>पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है</u>:- **संयुक्त पद्धति [प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन]:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) **<u>जो में</u>** नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन **<u>मैट्रिक्स के लेवल में</u>** या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 6 वर्ष की सेवा की हो; तथा (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। <u>टिप्पण-1:</u> वेतन मैट्रिक्स में लेवल-2 में ऐसे विभागीय पुस्तकालय लिपिक जिन्होंने उस	<u>पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिसमें से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है</u>:- **संयुक्त पद्धति [प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन]:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या अर्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) **<u>जो मूल संवर्ग या विभाग में</u>** नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन **<u>मैट्रिक्स के लेवल-5 में</u>** या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 6 वर्ष की सेवा की हो; तथा (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। <u>टिप्पण-1:</u> वेतन मैट्रिक्स में लेवल-2 में ऐसे विभागीय पुस्तकालय लिपिक जिन्होंने उस	- स्तंभ (क)(i) में **"जो में"** को **"जो मूल संवर्ग या विभाग में"** से संशोधित किया गया है। - स्तंभ (क)(ii) में **"मैट्रिक्स के लेवल में"** को **"मैट्रिक्स के लेवल-5 में"** से संशोधित किया गया है। - टिप्पण-2 को सार्थक बनाने के लिए इसमें निम्न संशोधन किया गया है **"आमेलन के लिए केवल केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के पदधारियों पर**

	श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री हो, पर बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है, तो पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा, अन्यथा, इसे प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन द्वारा भरा गया समझा जाएगा । __टिप्पण-2:__ __केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के पदधारियों पर केवल आमेलन के लिए विचार किया जायेगा__ । __टिप्पण-3:__ प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । __टिप्पण-4:__ प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । __टिप्पण-5:__ प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल में एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में साधारण लेवल बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है । उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी ।	श्रेणी में 10 वर्ष नियमित सेवा की हो और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विश्वविद्यालय पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री हो, पर बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाता है, तो पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा, अन्यथा, इसे प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन द्वारा भरा गया समझा जाएगा । __टिप्पण-2:__ __आमेलन के लिए केवल केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के पदधारियों पर विचार किया जायेगा__ । __टिप्पण-3:__ प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की उसी अथवा किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । __टिप्पण-4:__ प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । __टिप्पण-5:__ प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01.01.2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का वेतन मैट्रिक्स के साधारण लेवल में एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए वेतन मैट्रिक्स में साधारण लेवल बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है । उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेतन मैट्रिक्स में लेवल पर की गई सेवा समझी जाएगी ।	विचार किया जायेगा" ।

12.	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है :- **समूह 'ख'** विभागीय प्रोन्नति समिति:- 1. निदेशक/ उप सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय – अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (पुस्तकालय का भार साधक), गृह मंत्रालय – सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना क्या है : - **समूह 'ग'** विभागीय प्रोन्नति समिति:- 1. निदेशक/ उप सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय – अध्यक्ष 2. निदेशक या उप सचिव (पुस्तकालय का भार साधक), गृह मंत्रालय – सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय – सदस्य	- पद का वर्गीकरण समूह 'ग' में होने के कारण, "समूह 'ख'" को "समूह 'ग'" से संशोधित किया गया है।
13.	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श किया जाना है:- **संयुक्त प्रणाली अर्थात्, प्रोन्नति + प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/ आमेलन पर किसी अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है** ।	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से विचार-विमर्श किया जाना है:- लागू नहीं।	- अराजपत्रित पदों और जिसका वेतनमान ग्रेड पे रु. 4800/- (वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8) से कम है, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

21/02/2022

(विश्वजीत कुमार गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 2309 3666

सेवा में,

1. सभी हितधारक इस मंत्रालय को अपनी टिप्पणी भेजने हेतु।
2. अनुभाग अधिकारी (आईटी सेल) को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।